

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2020

जयपुर, दिनांक : 04.09.2020

आदेश

राज्य में कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित मरीजों की संख्या के दृष्टिगत संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु राज्य स्तर पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के साथ ही राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर को भी कोरोना वायरस (कोविड-19) के उपचार के लिए दिनांक 05.09.2020 से पूर्ण समर्पित (Dedicated) अस्पताल घोषित किया जाता है।


राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर में उपचाररत स्त्री एवं प्रसूति रोग से संबंधित समस्त मरीजों को महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर एवं अन्य बीमारी से उपचाररत समस्त मरीजों को सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में आज ही स्थानान्तरित किया जाए।

  
(अखिल अरोरा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
8. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
9. अधीक्षक एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
13. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
14. निजी /रक्षित पत्रावली



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव